माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

नामांकन / 2020 / क्रमांक / 41 भोपाल, दिनांक 07 / 01 / 2020

अधिसूचना
अंकसूची में त्रुटि सुधार
(संशोधित नियम)

विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक विभागों (UTD) तथा अध्ययन संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि छात्र नामांकन / पंजीयन फार्म को ऑनलाइन अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चत करें कि वांछित सभी प्रविष्ठियाँ सही एवं पूर्ण रूप से भरी गई हैं। छात्रों के नाम परिवर्तन / वर्तनी में सुधार के संशोधित नियम अधिसूचित किए जा रहे हैं।

1. यदि नामांकन / पंजीयन फार्म की प्रविष्ठि यथा छात्र / माता / पिता / पति के अंग्रेजी या हिन्दी नाम, सरनेम की वर्तनी (spelling) अथवा फोटो / हस्ताक्षर में त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए निम्नलिखित शुल्क एवं दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

   - शुल्क रू.**500 / प्रति अंकसूची** बैंक ड्राफ्ट / ऑनलाइन के माध्यम से।
   - डी.सी.ए. तथा स्नातक पाठ्यक्रमों की अंकसूची में वर्तनी (spelling) में त्रुटि सुधार हेतु हायर सेकेण्ड्री (10+2) की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है।
   - पी.जी.डी.सी.ए. तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंकसूची में वर्तनी (spelling) में त्रुटि सुधार हेतु स्नातक की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है।
   - फोटो संशोधन हेतु सत्यापित फोटो आई.डी. प्रमाण (पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई.डी.) एवं दो मूल फोटो।
   - विवाहोपरान्त सरनेम परिवर्तन की दशा में रू.100 / – के स्टॉप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित **मूल शपथपत्र**।

2. छात्र के नाम में परिवर्तन की शर्ते निम्नानुसार है :–

   - छात्र के नाम में परिवर्तन तभी किया जावेगा जब अन्य प्रविष्ठियाँ यथा माता–पिता का नाम, जन्म तिथि, फोटो इत्यादि का मिलान हो।
   - प्रस्तावित सही नाम के छात्र की अन्य प्रविष्टियों में, वर्तमान एवं भविष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
   - नाम में परिवर्तन का शुल्क रू.1000 / –प्रति अंकसूची बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय है।
   - डी.सी.ए. तथा स्नातक पाठ्यक्रमों की अंकसूची में त्रुटि सुधार हेतु हायर सेकण्डरी (10+2) की अंकसूची एवं पी.जी.डी.सी.ए. तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अंकसूची में त्रुटि सुधार हेतु स्नातक की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति तथा मूल अंकसूची जिसमें संशोधन चाहा गया है, जमा करना आवश्यक है।

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल-462011 (म.प्र.), फोन: (0755) 2551642, फैक्स: (0755) 2551641

B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal -462011 (M.P.), Phone: (0755)2551642, Fax: (0755) 2551641

Websites - www.mcu.ac.in, www.mcnujc.ac.in

- छात्र को रू.100/–के स्टॉप पेपर पर नोटराईज्ड **मूल शपथ पत्र** देना होगा जिसमें उल्लेखित हो कि छात्र द्वारा संबंधित अध्ययन संस्था में प्रवेश लिया गया है तथा भविष्य में नाम परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए छात्र स्वंय जिम्मेदार होगा।
- भारत का राजपत्र **(The Gazetta of India)** में प्रकाशित/सूचित होने का प्रमाण (राजपत्र की प्रति)।

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों (UTD) के छात्रों के नामांकन फार्म में यदि त्रुटि होती है तो नामांकन के पश्चात संबंधित विभागों द्वारा समस्त प्रविष्ठियों को एक सप्ताह तक नोटिस बोर्ड पर लगाया जायेगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ठीक किया जायेगा एवं इसके लिये कोई शुल्क देय नहीं होगा। यह दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। एक सप्ताह पश्चात त्रुटि सुधार संबंधी आवेदन पर रू.500/–प्रति अंकसूची की दर से विद्यार्थी को देना होगा।

4. अध्ययन संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन फार्म ऑनलाइन से भरे जाते हैं अतएव, किसी भी तरह की त्रुटि होने पर त्रुटि सुधार शुल्क अध्ययन संस्था को वहन करना होगा। वे इसे विद्यार्थियों से वसूल नहीं कर सकेंगे।

5. यह संशोधित नियम इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

पृष्ठांकन/नामांकन/2020/क्रमांक.........42 भोपाल, दिनांक 07/01/2020

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक,ए.एस.आई. मा.च.रा.प.सं.वि.वि. को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
3. समस्त परिसर को सूचनार्थ।
4. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. माननीय कुलपति, कुलाधिसचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक को सूचनार्थ।
7. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
कुलसचिव

बी-38, विकास भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल-462011 (म.प्र.), फोनः (0755) 2551642, फैक्सः (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal -462011 (M.P.), Phone: (0755)2551642, Fax: (0755) 2551641
Websites - www.mcu.ac.in, www.mcnujc.ac.in